:

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 45/2012
जीसीएमएस नम्बर :: 2012/00023

अपीलाण्ट :-

पीरसिंह पुत्र स्व. श्री गुमानसिंह, जाति रजपूत, निवासी कान्तरा (ग्राम पोस्ट हेमावास), तहसील पाली, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-

1. वेरसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. माधुसिंह पुत्र भोपालसिंह
3. गवरी बेवा भोपालसिंह
4. कन्या पुत्री भोपालसिंह
5. लीला पुत्री भोपालसिंह
6. सुखा पुत्री भोपालसिंह
7. सीता पुत्री भोपालसिंह
8. खम्मा पुत्री लच्छी जाति रजपूत निवासी गुडलाई तहसील पाली जिला पाली
9. पुनमसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह के वारिसान
   9/1. महेन्द्र सिंह
   9/2. भगवतसिंह
   9/3. मदनसिंह पुत्र पुनमसिंह
   9/4. लीला देवी पत्नी पुनमसिंह
   9/5. पिन्टुकंवर पुत्री पुनमसिंह जाति रजपूत निवासी कान्तरा तहसील पाली जिला पाली
10. बाघसिंह पुत्र गुमानसिंह के वारिसान
    10/1 मांगुसिंह पुत्र बाघसिंह
    10/2. देवीकंवर पुत्री बाघसिंह
    10/3 रूपादेवी पत्नी बाघसिंह जाति रजपुत निवासी – कान्तरा, तहसील पाली, जिला पाली
11. दलीपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रजपुत निवासी – डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली
12. ग्राम पंचायत दयालपुरा जरिये संरपच ग्राम पंचायत दयालपुरा तहसील पाली, जिला पाली
13. रास्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली

:

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया
रेस्पो. संख्या 01 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन दास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–30.10.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम बुरडाई के तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1295 दिनांक 20.11.2010 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन दास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि ग्राम गुरडाई के खसरा नम्बर 1046/937 रकबा 10 बीघा अपीलाण्ट की बहन जमनादेवी पुत्री गुमानसिंह जाति रजपुत निवासी काणदरा ने रेस्पोडेण्ट दलीपसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 07.08.2008 को खरीद की थी। जमनादेवी का पति आज से 35 वर्ष पूर्व कही छोड़कर चला गया था व आदिनांक तक उसके जीवित या मृत्यु के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जमनादेवी के पति के छोड़कर जाने के बाद रेस्पो. संख्या 01 से 07 जो कि जमनादेवी के पति के वारिसान व परिवारजन है जमनादेवी को नाजायज परेशान करने के कारण आजीवन जमनादेवी अपीलाण्ट जो कि भाई है उन्हीं के पास रही है व उसका सम्पूर्ण रहने के खर्चे का वहन भी अपीलाण्ट द्वारा किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी निजी आय से जमनादेवी के सम्पूर्ण जीवन के भरण–पोषण के लिए जैर आराजी का क्रय रेस्पो. संख्या 11 से खरीद की गई। जमनादेवी के निधन होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण उसके पति के वारिसानों ने उक्त जमीन हड़पने की कूटनीति से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई व साक्ष्य के अवसर दिये जैर नामान्तरकरण पारित करवाया। जैर नामान्तरकरण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर पाली के यहां अपील प्रस्तुत किया जिसमें सहायक कलक्टर ने तहसीलदार के आदेश को ही मानते हुए एवं क्षेत्राधिकार में नही होना मानते हुए उक्त अपील को जिला कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत होना मानते हुए एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानते हुए अस्वीकार कर दी। उक्त आराजी जमनादेवी की स्वअर्जित होने से उनके विरासत के उत्तराधिकारी जमनादेवी के पिता व उसके पुत्र व पुत्री होने चाहिए थे परन्तु जैर नामान्तरकरण उसके पति व पति के वारिशान के नाम स्वीकृत कर दिया जो काबिले खारिज है। अतः रेस्पो. संख्या 01 से 08 के नाम स्वीकृत जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 14 के अनुसार कोई भी हिन्दु महिला की निर्वसीयती फौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी उसके पति के वारिशान् को ही माना जाता है एवं जैर नामान्तरकरण इन्हीं प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत हुआ है जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई है। जैर नामान्तरकरण तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.10.2010 की पालना एवं जांच के क्रम में पारित हुआ है उसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मृतक निर्वसीयती हिन्दु महिला के उत्तराधिकार उसके पति के वारिसों को ही दिया जाना प्रकट आता है एवं तहसीलदार द्वारा हम उक्त नामान्तरकरण में किसी प्रकार की विधिक भूल नही की है एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कहे गये अन्य किसी भी भावुकता के बयानों का विधि में कही स्थान नहीं है एवं उनके आधार पर

किसी भी स्वीकृत नामान्तरकरण को अपास्त नहीं किया जा सकता एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दो नामान्तरकरण की अपील की है जो भी एक अपील में पोषणीय नहीं है। अतः जैर अपील अविधिक एवं बिना ठोस तथ्यों के प्रस्तुत की है जो सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में पत्रावली के पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर हम यह पाते है कि यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1295 दिनांक 20.11.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें उसका मुख्य उज्र यह है कि ग्राम बुरड़ाई के खसरा संख्या 1046/937 रकबा 10 बीघा अपीलाण्ट की बहन जमना देवी द्वारा रेस्पोडेण्ट दिलीप सिंह से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 07.08.2008 को खरीद की गई थी। उक्त जमनादेवी अपीलाण्ट के साथ ही निवास करती थी। अपीलाण्ट द्वारा जमनादेवी के रहने के दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है परन्तु रेस्पो. संख्या 01 से 07 ने अपीलाण्ट की बहन की उक्त कृषि भूमि हड़पने की नियत से अपने नाम का अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करवाया। अपीलाण्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पो. मृतका जमना देवी के ससुराल पक्ष के लोगों के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है। जमनादेवी के वास्तविक वारिशान् जमनादेवी के पिता गुमान सिंह के पुत्र बाघसिंह, पुनमसिंह अपीलाण्ट पीरसिंह वगैरह एवं उनके पश्चात उनके वारिशान है। जमनादेवी रेस्पो. संख्या 01 से 07 (ससुराल पक्ष के लोगो द्वारा) के पास कभी नहीं रही। वे जमनादेवी के उत्तराधिकारी नहीं है। उक्त विवादग्रस्त भूमि दिलीपसिंह से अपीलाण्ट ने अपने निजी आय से जमनादेवी के नाम करवाई तथा उनके नाम से विक्रय विलेख निष्पादित करवाया। जैर नामान्तरकरण की जांच तहसीलदार द्वारा नहीं कर उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है। ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार के क्षेत्राधिकार की समय सीमाओं के विरूद्ध निर्णय किया गया है। जैर नामान्तरकरण बिना विधिक जांच के किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा इस का खण्डन करते हुए यह कहा कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मृतक हिन्दु महिला के निर्वसीयती होने पर उत्तराधिकार पति के वारिसों को मिलता है। उनके द्वारा इस संबंध में एक न्यायिक दृष्टान्त 1969 RRD page no 192 पेश कर आवश्यक पक्षकारों के अभाव में पेश अपील सम्पूर्ण रूप से खारिज होगी का कथन किया है साथ ही एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1979 RRD page no 89 पेश कर दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील पेश करने को विधि विरूद्ध बताया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में हमे समग्र रूप से यह निर्धारित करना है कि मृतका जमना देवी के खातेदारी में स्थित भूमि का उसकी मृत्यु के बाद निर्वसीयती उत्तराधिकार किसका होना चाहिए एवं इसके अतिरिक्त अन्य तकनीकी बिन्दुओं का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में दो अलग–अलग आदेशों का कोई सार नहीं है क्योंकि वकील रेस्पोडेण्ट्स द्वारा वकील आपीलाण्ट के पंचायत के नामान्तरकरण की अपील उप जिला कलक्टर पाली के यहां प्रस्तुत करने पर उसे तहसीलदार के आदेश के कारण दर्ज नामान्तरकरण बताकर अपील की पोषणीयता को चुनौती एवं जब अपीलाण्ट द्वारा जिला कलक्टर के यहां अपील प्रस्तुत की गई है तो अब उसे पुनः उसके विपरीत पंचायत का आदेश या विवादित नामान्तरकरण बताना भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण है। यहां पर विस्तृत जांच तहसीलदार द्वारा करवाई गई तथा पंचायत के नामान्तरकरण में उसका उल्लेख है एवं मूलतः अपील तहसीलदार के जांच करवाने एवं आदेश

के क्रम में जो कि दिनांक 25.10.2010 को तहसीलदार द्वारा जारी किया गया उसके परिणामस्वरूप होना माना जाता है। प्रकरण में जहां तक विधि का प्रश्न है, यह विधि का सुस्थापित तथ्य है कि हिन्दु महिला के निर्वसीयती उत्तराधिकारी उसके पति के वारिसान होते है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से सुस्पष्ट है। प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा यह कथन करना कि मृतक महिला कहां रहती थी अथवा विवादित सम्पति क्रय करने में किस का धन लगा था इस बाबत् विधि में कही प्रावधान उपलब्ध नहीं है, अतएव यह प्रश्न गौण है। मौलिक रूप से विधि का स्थापित तथ्य है कि मृतक हिन्दु महिला का निर्वसीयती उत्तराधिकार उसके पति के वारिशों का होता है एवं यहां उत्तराधिकार उसके पैतृक परिवार में भाइयों इत्यादि को मिलने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है न ही ऐसा कोई प्रावधान अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया है। आश्चर्यजनक रूप से मृतक जमनादेवी के भाईयों में से सिर्फ अपीलाण्ट पीरसिंह ने ही यह आपत्ति प्रस्तुत की है, अन्य भाई बाघसिंह व पूनमसिंह जो रेस्पो. संख्या 09 व रेस्पो. संख्या 10 है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा/क्लैम/अधिकार हेतु आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 1295 दिनांक 20.11.2010 जो ग्राम पंचायत दयालयपुरा द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.10.2010 की पालना एवं जांच के क्रम में पारित हुआ है उसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मृतक निर्वसीयती हिन्दु महिला के उत्तराधिकार उसके पति के वारिसों को ही दिया जाना प्रकट आता है एवं तहसीलदार द्वारा हम उक्त नामान्तरकरण में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते एवं अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली